III/ निगरानी /सतना/ भू रा० /2017/3404

147

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर म.प्र. कैम्प रीवा म.प्र.

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

Rs-30/-

राम मनोहर पिता शिवदत्त काछी उम्र 56 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पलौहा थाना अमदरा तह.मैहर जिला सतना म.प्र. —निगराकार

बनाम

श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी प्यारेलाल काछी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पलौहा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म.प्र. —गैरनिगराकार

अधि० श्री बृजेन्द्र द्विवेदी द्वारा पेश/ 19.9.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2017 प्रकरण क.50ए/2/2016--2017

मान्यवर,

निगराकार की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है:--

1. यह कि निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पलौहा की आराजी नं.196/2/ रकवा 0045हे. का सीमांकन दिनांक 25.7.17 के विधि विरूद्ध रूप से निगराकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय वृत्त अमदरा के समक्ष नक्शा तरमीम के पूर्व सीमांकन न कराए जाने का शिकायती आवेदन दिनांक 2.06.17 भी प्रस्तुत किया गया निगराकार के सीमांकन का हल्ला था कि सीमांकन होना है किन्तु निश्चित तिथि की सूचना नहीं थी । सीमांकन पर आपत्ति के बावजूद रा.नि.अमदरा द्वारा निगराकार को सुना नहीं गया दिनांक 31.07.17 को तहसीलदार द्वारा मोबाइल फोन पर आर.आई.के निगराकार के सामने निर्देश दिया गया कि निगराकार को सुने बिना सीमांकन आदेश न किया जाय सीमांकन भी फटे एवं जीर्ण शीर्ण नक्शा से किया गया । गैर निगराकार आ.नं. 196/2 रामकली पत्नी रामदत्त से खरीदने के पूर्व सीमांकन नहीं कराया था। 196/2 के अंश रकवा से रूढिगत रास्ता भी प्रचलित है जिससे निगराकार व अन्य काश्तकार भी निकलते है, रामकली ने निगराकार से उक्त भूमि के सम्बन्ध

19/9/17

राममनोहर

...गा के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0III / निगरानी / सतना / 2017 / 3404 जिला–सतना

राममनोहर / लक्ष्मी बाई

(1)	(2)	(3)
23.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	